न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला शाहपुरा (राज.)

पीठासीन अधिकारी— श्री राजकेश मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 94/2016 साबिक प्र.स. 68/2006

उनवान

1 भैरू पिता कल्याण कुमावत उम्र—वयस्क निवासी बेगवा तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा
2 रामलाल पिता कल्याण कुमावत उम्र—वयस्क निवासी बेगवा तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा
3 हजारी पिता धीसा कुमावत उम्र—वयस्क निवासी बेगवा तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा
4 छगना पिता धीसा कुमावत उम्र—वयस्क निवासी बेगवा तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा

—— वादीगण

बनाम

1 सांवरिया पिता रामदेव चमार उम्र—वयस्क निवासी रलायता तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा
2 मु.शान्ति पुत्री रामदेव जोजे श्री गोपाल पिता भैरू चमार उम्र—वयस्क निवासी सांखलिया तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा
3 मु.रामप्यारी पुत्री रामदेव जोजे रामा पिता कालू चमार उम्र—वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा
4 मु.धापी बेवा रामदेव चमार उम्र—वयस्क निवासी रलायता तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा
5 रामपाल पिता बरदा चमार उम्र—वयस्क निवासी रलायता तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा
6 रामकिशन पिता बरदा चमार उम्र—वयस्क निवासी रलायता तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा
7 प्रहलाद पिता बरदा चमार उम्र—वयस्क निवासी रलायता तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा
8 मु.सायरी पुत्री बरदा चमार जोजे बंशीलाल पिता श्रवण चमार उम्र—वयस्क निवासी ठिकरिया खेड़ा तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा
9 मु.गीता पुत्री बरदा चमार जोजे नन्दा पिता भैरू चमार उम्र—वयस्क निवासी अरवड़ तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा
10 मु.धीसी पुत्री बरदा चमार जोजे सांवरिया पिता श्रीलाल चमार उम्र—वयस्क निवासी बागथला तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा
11 मु.सीता पुत्री बरदा चमार नाबालिग संरक्षिका माता मु.सजनी बेवा बरदा चमार निवासी रलायता तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा
12 मु.सजनी या सजरी बेवा बरदा चमार उम्र—वयस्क निवासी रलायता तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा
13 उगमा पिता रूपा चमार उम्र—वयस्क निवासी रलायता तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा
14 नायब तहसीलदार, तहसील कार्यालय फूलियाकलां जिला शाहपुरा

..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :— श्री त्रिलोक चन्द गोलछा——वादीगण अधिवक्ता
राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां
अनुपस्थित— श्री दुर्गालाल राजौरा——— अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 13

निर्णय

दिनांक — 23.02.2024

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद पत्र बाबत इन्द्राज दुरूस्ति प्रस्तुत किया। ग्राम रलायता पटवार हल्का क्षेत्र रलायता तहसील फूलियाकलां की सरहद मे स्थित साबिक खसरा संख्या 161 रकबा 03—00 बीघा भूमि वादी संख्या 01 व 02 के पिता स्व.कल्याण कुमावत के नाम पर दर्ज रेकार्ड थी।

उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकलां जिला—शाहपुरा

(2)

इसके बाद नामक तहसील कार्यालय में भूप्रबन्ध कार्यवाही चली। भू–प्रबन्ध कार्यवाही में साबिक खसरे के नवीन निर्मित खसरा संख्या 430, 799 कायम हुए। स्व. कल्याण कुमावत के देहान्त पश्चात वादीगण के नाम पर विरासत खुली। जिस स्थान पर साबिक खसरा 161 गत राजस्व नक्शा में दर्शित किया हुआ है। पैमाईश कार्यवाही में खसरे को दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया और हाल नक्शे में आ.न.430 को सा.ख.संख्या 161 के उत्तर में स्थापित कर दिया गया। आराजी संख्या 427 जो साबिक खसरा 85 के निर्मित हुआ है जिसे साबिक खसरा 161 से लगभग एक किमी दूरी पर स्थापित कर दिया गया। इस प्रकार गत नक्शे के मुकाबले हाल नक्शे में वादीगण के खसरे को प्रतिवादीगण के स्थान पर स्थापित बता दिया। वादीगण को विधिक रूप से सूचित किए बिना प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध जाकर नक्शों में यह बदलाव किया गया। जो काबिले निरस्तगी के है।

अतः ग्राम रलायता पटवार हल्का क्षेत्र रलायता तहसील फुलियाकलां स्थित हाल आराजी संख्या आराजी संख्या 427 को हाल राजस्व नक्शे में जहां स्थापित किया गया है, वहां से निरस्त कर, वहां वादी की आराजी संख्या 430 को फिट किया जावे। तथा उक्त आराजी की दक्षिणी मेर के बीच में वादीगणों द्वारा निर्मित पक्के कुएं को वादीगणों की संयुक्त खातेदारी घोषित की जावें। साथ ही उक्त आराजी पर वादीगण के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का दखल न तो स्वयं करें, न किसी अन्य से करावें इस आशय कि स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद किया जाना फरमावें।

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दिनांक 19.01.2008 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 से 12 व 14 को कितनी ही मर्तबा आवाजें लगाये जाने के उपरान्त भी स्वयं विपक्षीगण अथवा उनकी ओर से कोई वैद्य प्रतिनिधि पैरवी हेतु हाजिर नही होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादी संख्या 13 की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री दुर्गालाल राजोरा द्वारा खण्डन में प्रस्तुत किये गये जवाब के आधार पर प्रकरण में 03 तनकियात कायम की गई। बाद तनकियात कायमी वादीगण पक्ष को साक्ष्य हेतु अवसर प्रदत्त किया गया। वादी पक्ष द्वारा बतौर गवाह वादी श्री खाना पिता घीसा कुमावत, श्री गोगाराम पिता खाना कुमावत, श्री सांवरलाल पिता गंगाराम कुमावत, श्री कन्हैयालाल पिता कालू कुमावत के शहादत्त में शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये जिन्हे शामिल मिशल कर, प्रकरण को जिरह के चरण पर नियत किया गया। वादी की ओर से उपस्थित पी.डब्ल्यू. 01 गवाह से जिरह कार्यवाही में बयानात कलमबद्ध किए गये।

इसके पश्चात प्रकरण को शहादत्त प्रतिवादी चरण पर पंजीबद्ध किया गया। किन्तु शहादत्त में प्रतिवादी पक्ष की ओर से डी.डब्ल्यू. प्रस्तुत नही किये जाने से विपक्षी की शहादत्त भी समाप्त की गई। इस उपरान्त वादीगण के नियुक्त अधिवक्ता ने मामले के अति–आवश्यक होने का कथन रखते हुए, बहस प्रस्तुत करना चाहने से व नियत सुनुवाई पर प्रतिवादीगण पक्ष गैरहाजिर रहने से मामले में बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कलां जि.भी.–शाहपुरा

(3)

प्रकरण मे 03 तनकियात कायम होकर बाद विश्लेषण निम्नानुसार निर्णित की गई।

तनकि संख्या 01 ! '' आया संवत् 2051 के भूप्रवंध के फील्ड मेप में आराजी 427 जेस जगह बताई गई है उसे वहां से निरस्त करा, आ.न. 427 के स्थान पर 430 स्थापित कराने, आराजी के दक्षिणी मेर के बीच में वादीगणों द्वारा निर्मित कुएं को वादीगणों का संयुक्त स्वामित्व घोषित कराने के अधिकारी है ? ''

बा–जिम्मे वादीगण

तनकी संख्या 02 ! '' आया वादग्रस्त आराजीयात भूमि पर से वादी के हक हिस्से में उपयोग–उपभोग व काश्त करने में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की वाधा, रूकावट उत्पन्न नही करें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ? ''

बा–जिम्मे वादीगण

तनकी संख्या 1 व 2 को सिद्ध करने का दायित्व वादी के जिम्मे रखा गया।

वादग्रस्त साबिक खसरान 161 से हाल खसरान 430 एवं 799 किता 0.76 हैक्टयर नवीन निर्मित हुए है। भू–प्रबन्ध के मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श दस्तावेज संख्या 06 से यह तथ्य साबित हुआ है। लेकिन साबिक खसरा 161 पर वादीगण पक्ष का स्वामित्व रहे होने का प्रमाण/सबूत रेकार्ड पर उपलब्ध नही है। हांलाकि हाल खसरान 430, 799 वर्तमान में वादीगण के हक अधिकार में है।

साबिक खसरान 85 से हाल खसरान 427 रकबा 0.27 हैक्टयर नवीन निर्मित हुए है। भू–प्रबन्ध के मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श दस्तावेज संख्या 06 से यह तथ्य साबित हुआ है। साबिक खसरान 85 व हाल खसरा 427 पूर्व से ही प्रतिवादी पक्ष के नाम पर दर्ज चली आ रही है।

साबिक जमाबन्दी सवंत् 2040 के अवलोकन से यह पाया गया कि वर्णित खसरान किता 8 में आ.न.161 का वादीगण की खातेदारी में दर्ज नही होना पाया गया है। लेकिन वादीगण ने अपने वादपत्र में साबिक न. 161 को जमाबन्दी सवंत् 2040 में दर्ज होना बताया गया है। वादीगण के नाम पर रहा साबिक रकबा लगभग हाल रकबे के बराबर ही है। और खसरान का नवीन निर्मित आराजियात से मिलान होना भी सही पाया गया है। प्रश्नगत् आ.न.161 वादीगण के हक अधिकार में किस प्रकार ओर कब आई वादीगण ने यह तर्क गलत एवं काल्पनिक प्रस्तुत किया है।

वादीगण का यह कहना है कि आराजी संख्या आराजी संख्या 427 को हाल राजस्व नक्शें में जहां स्थापित किया गया है, वहां से निरस्त कर, वहां वादी की आराजी संख्या 430 को फिट किया जावे। लेकिन रेकार्ड पर उपलब्ध कराया गया साबिक राजस्व नक्शा प्रदर्श 01 के अवलोकन पर यह पाया गया कि साबिक खसरा 161 व 85 का स्पष्ट दर्शित अंकन होना नही पाया गया है। न्यायालय यह मानता है कि अपने अपने समर्थन में प्रस्तुत कराये जाने वाले दस्तावेजात/सबूत का पर्याप्त होना और स्पष्ट होना आवश्यक है, उन्ही के आधार पर ही पक्षकारों के हितों का निर्धारण किया जा सकता है।

उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कलां जिला–शाहपुरा

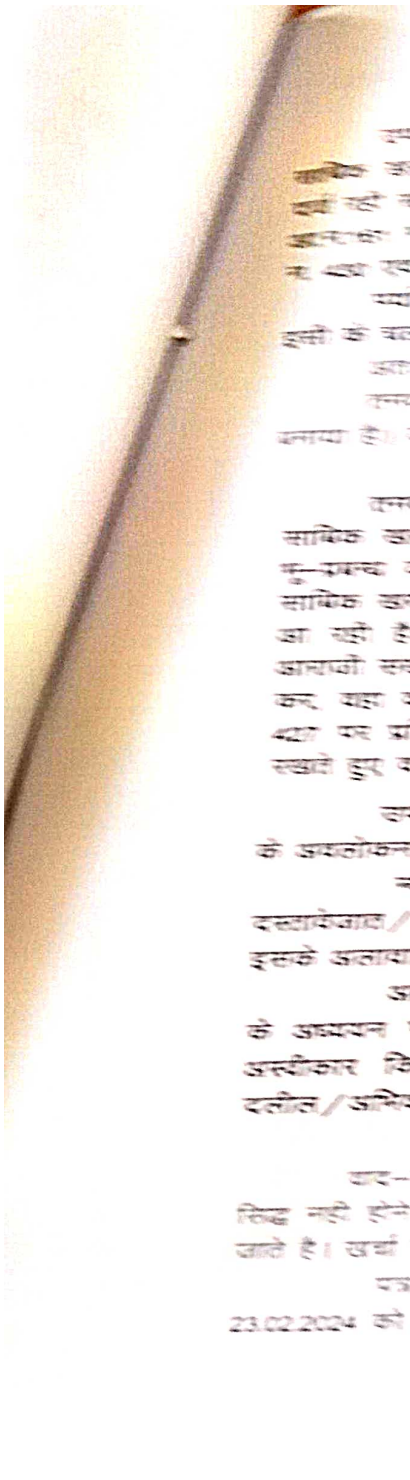

उपलब्ध कराये गये समस्त अभिलेख दस्तावेजात से यह साबित नहीं होता कि साबिक खसरा नं. पर यह वादीगण का हक किस प्रकार से आया, प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज रही साबिक आराजी के नये नक्शे में किस स्थान पर स्थापित थी और इसी प्रकार से खसरा नं. को पुराने नक्शे में कहां स्थापित थी। नं. को दो टुकड़ों में विभाजित कर, इस न ... एक ही पक्ष को अलग अलग छोर पर स्थापित क्यों किये होंगे।

साक्ष्य सबूत, दस्तावेज के अभाव में इन तथ्यों में पारदर्शिता नहीं पाई गई है। इसी के चलते वादीगण को सफल साबित होना नहीं पाया गया है।

अतः तनकीह संख्या 1 व 2 विरूद्ध वादीगण के निर्णीत की जाती है।

तनकीह संख्या (3) अन्य वादीगणों ने प्रतिवादी को अनावश्यक रूप से पक्षकार बनाया है। वादपत्र हर्जाना मिलने योग्य है।"

बा-जिम्मे प्रतिवादी न3

तनकीह संख्या (3) को सिद्ध करने का दायित्व प्रतिवादी न3 के जिम्मे रखा गया। साबिक खसरान 88 से हाल खसरान 427 रकबा 0.27 हैक्टयर भूमि निर्मित हुए है। भू-प्रबन्ध के मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श दस्तावेज संख्या [illegible] से यह तथ्य साबित हुआ है। साबिक खसरान 88 व हाल खसरा 427 पूर्व से ही प्रतिवादी पक्ष के नाम पर दर्ज चली आ रही है। मुताबिक वादपत्र वादीगण की यह इच्छा रही है कि आराजी संख्या आराजी संख्या 427 को हाल राजस्व नक्शे में जहां स्थापित किया गया है, वहां से निरस्त कर, वहां वादी की आराजी संख्या 452 को फिट किया जावे। अब चूंकि हाल खसरान 427 पर प्रतिवादीगण का मालिकाना हक है। स्वभावतया स्थापित होने हक को ध्यान में रखते हुए वादीगण ने प्रतिवादी न3 का बतौर पक्षकार संयोजन किया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर उपलब्ध अभिलेखों व आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन करने के पश्चात तनकीह संख्या (3) व-हक वादीगण के निर्णीत की जाती है।

न्यायालय यह मानता है कि वादीगण द्वारा अपने समर्थन में प्रस्तुत कराये गये दस्तावेजात/सबूत अपर्याप्त है एवं जो उपलब्ध कराये गये है उनमें पारदर्शिता नहीं है। इसके अलावा वादपत्र में वर्णित कथनों की ताईद उपलब्ध दस्तावेजात से नहीं होती है।

अतः प्रकरण के आद्योपान्त अवलोकन करने से तथा प्रदर्श कराये गये दस्तावेज के अध्ययन एवं विश्लेषण पश्चात न्यायालय वादपत्र वादीगण को दोषयुक्त मानते हुए, अस्वीकार किये जाने योग्य मानता है। वादी पक्ष द्वारा दावे के माध्यम रखे गयी दलील/अभिवचन अस्वीकृत किये जाते है।

:: आदेश ::

अतः-वक्त वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट को वाद हेतुक सिद्ध नहीं होने के कारण मेन्टेनेबल नहीं होने से अस्वीकार किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 23.02.2024 को खुले इंजलास सुनाया गया।